2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

समक्ष : माननाय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(51)

रेस्टोरेशन /2019 पुनर्स्थापन-0453/2019/पन्ना/भू.रा.सं.

केशवदास तिवारी पुत्र श्री नारायणदास तिवारी निवासी –ग्राम रन्जोरपुरा तहसील व जिला पन्ना म.प्र.

.......आवेदक

विरूद्ध

1. गोकुल तनय ललुवा चमार
2. सोखीलाल तनय गोकुल चमार
3. रतुआ तनय गोकुल चमार तीनो निवासी ग्राम रन्जोरपुरा तहसील व जिला पन्ना म.प्र

...........अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 28.3.19 प्रस्तुत ... 5-4-19

28-3-19

28/3/19

आवेदन वास्ते प्रकरण को पुनःरेस्टोरेशन किये जाने वावत भू–राज्य संहिता 1959 की धारा 35 व सहपठित धारा 32 के तहत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 453/2019/पन्ना/भू0रा0

केशवदास तिवारी विरूद्ध गोकुल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–8–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा रेस्टोरेशन के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह रेस्टोरेशन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 व सहपठित धारा 32 के तहत दिनांक 5–4–2019 को प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि यह अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था। पूर्व अभिभाषक द्वारा आवेदक को अभी तक यह जानकारी दी जा रही है कि प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है। आवेदक द्वारा दिनांक 25–3–2019 को स्वयं खोज करने पर पता चाला कि प्रकरण 2009 में अदम पैरवी में समाप्त हो गया है। अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतः विलम्ब क्षमा किया जाकर मूल निगरानी पुनः नम्बर पर लेने का अनुरोध किया। 3/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा आवेदन निगरानी प्रकरण कमांक 2390–दो/2002 दिनांक 07–10–2009 के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन इस न्यायाल में दिनांक 5–4–2019 को प्रस्तुत किया गया है। यह पुनर्स्थापन आवेदन 9½ वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। दिन–प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। 9½ वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बतलाये हैं। फलस्वरूप यह रेस्टोरेशन आवेदन अवधि बाह्य होने से अमान्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	